



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225991
CG-DL-E-18032021-225991

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 149]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 149]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2021

सा.का.नि. 198(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के न्यायमूर्ति के परामर्श से उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति नियम, 2000 के नियम 4 में, खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(क) उच्चतम न्यायालय रजिस्ट्री का रजिस्ट्रार से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी; या

(ख) उच्चतर न्यायिक सेवा का अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीश की पंक्ति में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी; या

(ग) भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव की पंक्ति का कोई अधिकारी; और

उन्हे मध्यक्ता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान क्रियाकलाप का ज्ञान और विधिक सेवा प्राधिकरणों में कार्य करने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए।”

[फा. सं. ए-60011/36/2018-एलएपी(न्या.)]

नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 3 जुलाई, 2000 में सा.का.नि. 582 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 823 (अ), तारीख 28 नवंबर, 2008, सा.का.नि. 807(अ), तारीख 14 नवंबर, 2011 और सा.का.नि. 1237(अ), तारीख 27 दिसंबर, 2018 द्वारा पश्चात्तवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2021

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government, in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, namely :—

1. Short title and commencement.--(1) These rules may be called the Supreme Court Legal Services Committee (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Supreme Court Legal Services Committee Rules, 2000, in rule 4, for clause (a) and (b) the following shall be substituted, namely:-

“(a) an officer of the Supreme Court Registry not below the rank of Registrar; or

(b) an officer of Higher Judicial Service in the rank of Additional District and Sessions Judge with minimum one year of experience; or

(c) an officer of the rank of Additional Secretary to the Government of India; and

must have knowledge of mediation and other Alternative Dispute Resolution activities and should have minimum one year experience of working with legal aid authorities.”

[F. No. A-60011/36/2018-LAP(JUS)]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note : The Principal Rules were published *vide* G.S.R. 582 (E), dated the 3rd July, 2000, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (i), dated the 3rd July, 2000 and subsequently amended *vide* G.S.R. 823(E), dated the 28th November, 2008, G.S.R. 807(E), dated the 14th November, 2011, G.S.R. 1237(E), dated the 27th December, 2018.